पीत पत्र के बदले में ।

संचिका संख्या ग्र0वि0एस0क्यू0एम0 कोषांग 6/13 IV

श्री सदय कुमार सिन्हा
अवर सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार ।

कृपया मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्रांक 501781 दिनांक 02/08/2017(प्रति संलग्न) से विभाग को मुख्यमंत्री सचिवालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई थी । इस पत्र के संबंध में विभाग का यह निर्णय था कि SQM दल जिलों का जबभी परिदर्शन करेगा इन आवेदनों का भी निस्तार कर विभाग को जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेगा । विभाग द्वारा SQM का नवम्बर 2017 से जनवरी 2018 तक का कार्यक्रम पत्रांक 335654 दिनांक 07/11/2017 निर्धारित किया है । इस आलोक में SQM द्वारा जिलों के परिदर्शन के क्रम में ही इन आवेदनों का निस्तार किया जा रहा है एवं विभाग को प्राप्त जॉच प्रतिवेदन आपको पृष्टाकिंत की जाती है ताकि इसपर सम्यक कार्रवाई करते हुए फलाफल मुख्यमंत्री सचिवालय को अवगत कराया जाय ।

उक्त परिपेक्ष्य में ही गै0स0प्रे0सं0 1575 दिनांक 04/12/2017 से संदर्भ सं0 2707170044(श्री मती पवनी देवी का प्रतापगंज प्रखण्ड में आवास योजना के तहत अनियमितता) का जॉच प्रतिवेदन आपको भेजी गई है। इस पीत पत्र के साथ पटना जिला अन्तर्गत संदर्भ संख्या 12807170072(श्री मती शांती देवी,ग्राम बराटपुर, ग्राम पंचायत सोनवा, प्रखण्ड पटना) एवं संदर्भ संख्या 13107170022(श्री प्रेम प्रकाश, मुखिया मोगलपुरा पंचायत, प्रखण्ड बख्तियारपुर) के आवेदनों का जॉच दो SQM सर्वश्री विजय कुमार एवं जितेन्द्र कुमार सिन्हा की गई है का जॉच प्रतिवेदन मुल रूप से आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न की गई है ।

अनुलग्नकः-

1. श्री मती शांती देवी संदर्भ सं0 12707170072 का जॉच का जॉच प्रतिवेदन(10 पेज) ।
2. श्री प्रेम प्रकाश, मुखिया मोगलपुरा संदर्भ सं0 13107170022 का जॉच का जॉच प्रतिवेदन(21 पेज)
3. मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्रांक 501781
4. दिनांक 02/08/2017(प्रति संलग्न)

जितेन्द्र कुमार सिन्हा,
SQM CELL, प्रभारी ।

प्रतिलिपि- श्री अनुराग कौशल सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

SQM CELL, प्रभारी ।

<u>जॉच प्रतिवेदन</u>

<u>भोगलपुरा ग्राम पंचायत के अन्तर्गत ग्राम- करौटा, पो0- डोमा, प्रखण्ड बख्तियारपुर में वर्ष 2016-17 में मरनेगा के तहत हुए कुछ कार्यों श्री अजय कुमार कर्याक्रम पदाधिकारी एवं श्री आशीश पाण्डेय रोजगार सवक द्वारा कमीशन(घुस) की राशि नही मिलने के कारण वर्ष 2017-18 की योजना संख्या 1/2017-18 में मजदुरों के मजदुरी रोकने के संबंध में श्री प्रेम प्रकास मुखिया, मगलपुरा ग्राम पंचायत द्वारा मुख्यमंत्री को समर्पित शिकायत पत्र (मा0मु0संदर्भ सं0-13107170022) की जॉच का प्रतिवेदन</u> ।

ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 335654 दिनांक 07/11/2017 के आलोक में पटना जिला अन्तर्गत चल रहे मनरेगा एव प्रधामंत्री आवास योजना के तहत कराया जा रहे कार्यो से संबंधित परिदर्शन जिसमें पटना जिला अनतर्गत प्रखण्डों में मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना एवं इंदिरा आवास योजना से संबंधित जनता द्वारा समर्पित शिकायत पत्र के जॉच हेतु उपरोकत पत्र द्वारा गठित जॉच दल जिसमें श्री विजय कुमार एवं श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा, राज्य गुणवत्ता अनुश्रवक शामिल है, द्वारा दिनांक 30/11/2017 को बख्तियारपुर प्रखण्ड, मगलपुरा ग्राम पंचायत अन्तर्गत, करौटा ग्राम अवस्थित विवादित पोखर का निरीक्षण किया गया ।

पोखर बख्तियारपुर, फतुआ पुराने पक्की सड़क के दाहिने तरफ सटा हुआ है । इस पोखर को जलकर के रूप मे मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के जिला मतस्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उक्त पोखर को जलकर के रूप में श्री प्रेम प्रकाश ग्राम-करौटा, पोस्ट- डोमा, प्रखण्ड- बख्तियारपुर को बंदोबस्त वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक के लिए कर दिया गया है । श्री प्रेम प्रकाश, मोगलपुरा ग्राम पंचायत के वर्तमान मुखिया है एवं वर्ष 2017-18 में वार्षिक योजना के क्रमांक-1 के द्वारा चयनित योजना रामरत्न शर्मा के घर के निकट सार्वजनिक तलाब के उड़ाही एवं सौंदर्यीकरण कार्य की प्रशासनिक एवं तकनीकि स्वीकृति दी गई जिसके तहत रूपये 428700 निहित है ।

इस संबंध में स्पष्ट करना है कि मतस्य एवं पशुपालन विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक हेतु श्री प्रेम प्रकाश जो वर्तमान में मुखिया है कों व्यक्तिगत तौर पर जलकर के रूप में पोखर को बंदोवस्ती की गई है अर्थात 2018-19 उन्हें पोखर का स्वामित्व प्राप्त है । अत: इसमें किसी भी तरह का कार्य उड़ाही अथवा अन्य कार्य सरकारी राशि व्यय कर करना समीचिन नही है । बंदोवस्तधारी स्वंय की राशि से चाहे पोकलन चलाकर अथवा जे0सी0बी0 चलाकर भराई, उड़ाही करे सरकार को इसमें कोई लेना-देना नही है । इस पोखर से कोई भी योजना वर्ष 2018-19 तक लेना सम्मयक नही है । इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा परिवाद भी जॉच दल को प्राप्त कराया गया है जो प्रतिवेदन के साथ संलग्न है(अनुलग्नक 1-3) । लेकिन यह कोई महत्वपूर्ण नही है । मतस्य एवं पशुपालन विभाग के जिला मतस्य पदाधिकारी द्वारा निलामी किये जाने से संबंधित प्रत्राचार जॉच प्रतिवेदन के साथ संलग्न है (अनुलग्नक- 5-8) । कार्यक्रम पदाधिकारी, बख्तियापुर द्वारा भी एक प्रतिवेदन जॉच दल को प्राप्त हुआ है जो अनुलग्नक -4 के रूप में संलग्न है ।

इस योजना में मनरेगा से कोई भी राशि व्यय नही की गई है एवं मुखिया द्वारा भुगतान कराने हेतु शिकायत दर्ज की गई है जो वर्तमान परिपेक्ष्य में सगंत नही प्रतीत होता है । जॉच दल द्वारा मुखिया से भी विमर्श स्थल पर किया गया । कार्यक्रम पदाधिकारी एवं पंचायत रोजगार सेवक द्वारा कमिशन मागें संबंधित कोई भी साक्ष्य मुखिया द्वारा जॉच दल को उपलब्ध नही कराया गया ।

अत: कार्यक्रम पदाधिकारी एवं पं0रोजगार सेवक के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नही होता है ।

11.12.17

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा)
स्टेट क्वालिटी मॉनिटर

11/12/2017

(विजय कुमार)
स्टेट क्वालिटी मॉनिटर

अनुलग्नक:- 1-8(19 पन्ने)

सेवा में, 30/11/17 अनुलग्नक-

श्रीमान मनरेगा P.O.

बख्तियारपुर (पटना)

विषय - दबंग मुखिया द्वारा डाबर और मंदिर के जमीन को भरकर कब्जा करने हेतु

महाशय,

सविनय नम्र निवेदन यह है कि ओगालपुरा ग्राम पंचायत के दबंग मुखिया प्रेम प्रकाश उर्फ बबलू सिंह करौता ग्राम में स्थित डाबरा (खाता नं० 59 और खेसरा नं० 8 जिसमें गाँव का पानी गिरता है को उड़ाही के नाम पर डाबरा को भरकर अपने जमीन के रूप में प्रयोग करने के जुगाड़ में हैं।

साथ ही मंदिर के जमीन (खेसरा नं० 115 और 116) को भी कब्जा करने के लिए पोकलेन और J.C.B. के द्वारा भराई कर रहे हैं।

देखें PO ग्रामी

आपका विश्वासी
समस्त ग्रामवासी
सदस्या नं० 6

सेवा में।

अनुलग्नक-

विषय :- दबंग मुखिया द्वारा गबरा के जमीन को J.C.B और पोपलेन द्वारा भरकर कब्जा करने हेतु।

महाशय।

सविनय नम्र निवेदन यह है कि मोगलपुरा ग्राम पंचायत के दबंग मुखिया प्रेम प्रकाश उर्फ बबलू सिंह करौता ग्राम में अवस्थित गबरा जिसमें गाँव के जल का पानी गिरता था जिसे पोपलेन और J.C.B द्वारा दोनों किनारे ढाहकर भराई किया गया। इस पर हमलोग विरोध किये और थाना प्रभारी, अनुमंडलाधिकारी, अंचलाधिकारी, मनरेगा अधिकारी, अनुमंडल आरक्षी अधीक्षक के यहाँ आवेदन दिये। J.C.B. और पोपलेन चला है उसका फोटो भी इस आवेदन के साथ संलग्न किया जा रहा है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि दबंग मुखिया पर यथाशीघ्र उचित कारवाई की जाय।

आपका प्रार्थी
उमेश शर्मा
ग्राम - करौता
ग्रामपंचायत - मोगलपुरा

सेवा में

अनुलग्नक-3

विषय : दबंग मुखिया द्वारा नाबरा और मंदीर की जमीन को भरकर कब्जा करने हेतु

महाशय।

सविनय नम्र निवेदन यह है कि मोतालपुरा ग्राम पंचायत के दबंग मुखिया प्रेम प्रकाश उर्फ बबलू सिंह कौशल ग्राम में अवस्थित नाबरा जिसमें गाँव का पानी गिरता है को उराही के नाम पर नाबरा को पोपलेन और J.C.B के द्वारा भराई कर रहे हैं। दबंग मुखिया पहले से भी कई केस में अभियुक्त है। सभी ग्रामीणों को धमकी दे रहे हैं कि जो भी आगे आयेगा उसको हम कहीं न कहीं फंसा देंगे या उसके साथ कुछ भी अप्रिय घटना हो सकता है। गाँव में उनका दहशत व्याप्त है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि दबंग मुखिया पर न्यायोचित उचित कारवाई की जाय।

आपका प्रार्थी
महेश शर्मा

कार्यालय - कार्यक्रम पदाधिकारी, बख्तियारपुर

पत्रांक – Camp-1 / दिनांक – 04.12.17

प्रेषक,

अनुलग्नक-4

कार्यक्रम पदाधिकारी
बख्तियारपुर।

सेवा में,
जाँच दल (दिनांक 30.11.2017)
एस. क्यू. एम
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना।

विषय – ग्राम पंचायत मोगलपुरा के योजना सं॰ 01/2017-18 में नियम विरूद्ध JCB मशीन का प्रयोग करने के सम्बंध में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक कहना है कि ग्राम पंचायत मोगलपुरा के दबंग मुखिया श्री प्रेम प्रकाश द्वारा जबरदस्ती अपने लाभ के लिए जिला मत्स्य-पदाधिकारी से पाँच साल के लीज पर ली गई जलकर में मनरेगा का राशि दुरूपयोग करने के नीयत से योजना का प्राक्कलन पंचायत तकनीकी सहायक श्री शिवशंकर प्रसाद से बनवा कर JCB मशीन से कार्य कराया गया। ग्राम पंचायत के सरपंच के लिखित आवेदन पर दिनांक 13/06/17 को योजना का स्थल निरीक्षण स्वयं एवं कनीय अभियंता श्री अखिलेश कुमार के साथ की गई। स्थल निरीक्षोपरांत स्थल पर एक भी मजदूर उपस्थित नहीं मिले स्थल पर JCB चलने के निशान, मिट्टी की कटाई एवं कटाई की गई मिट्टी के रख रखाव से परिलक्षित हुआ कि रात्रि में JCB का प्रयोग उक्त स्थल पर किया गया क्योंकि जलकर 15-16 फीट पहले से गहरा था, को JCB मशीन से खड़ा काटकर

पोखरा की गहराई को कम किया गया। तत्काल इसकी सूचना अपने कार्यालय के पत्रांक 38 दिनांक 13/06/17 को उप-विकास आयुक्त, पटना को सूचित किए कि स्थल पर JCB का प्रयोग रात्रि में की गई है।

उप विकास आयुक्त ने अपने कार्यालय के पत्रांक - दिनांक - से सम्बंधित ग्राम पंचायत के मुखिया श्री प्रेम प्रकाश एवं पंचायत रोजगार सेवक श्री आशीष पाण्डे पर स्पष्टीकरण पूछा की गई। स्थल पर मुखिया द्वारा जबरदस्ती ऑपरेटर के द्वारा निकलवाये गए मस्टर रोल का सामाजिक अंकेक्षण के क्रम में किसी व्यक्ति ने स्वीकार नहीं किया कि मेरे द्वारा स्थल पर काम किया गया है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मुखिया जिला मत्स्य पदाधिकारी से प्राप्त जलकर में काम कराकर राशि का दुरुपयोग अपने हित में करना चाहता है, इसी सच्चाई का उजागर मेरे द्वारा किया गया, तो मुखिया के द्वारा लगातार धमकी दी जाती है कि मेरा पहुँच सियासत में है, मैं सियासी आदमी हूँ आपको पटना में रहना मुश्किल कर दूँगा। आपको फँसा दूँगा। श्रीमान मैं अपने दो छोटे-छोटे बच्चे के साथ रहता हूँ मेरे परिवार की सारी निर्भरता मेरे ऊपर है,

अतः इस स्थिति में मेरे साथ मुखिया किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है तो इसकी सारी ~~की~~ जबाबदेही आपकी होगी।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि मेरे आवेदन पर विचार करने की कृपा की जाए एवं दबंग मुखिया पर कठोर प्रशासनिक कार्रवाई करने की कृपा की जाए ताकि भविष्य में कोई मुखिया द्वारा दुरुपयोग करने का ~~कहानी~~ हिम्मत नहीं कर सके।

श्रीमान् की सेवा में सादर सूचनार्थ।

विश्वासभाजन

04/10/17

कार्यक्रम पदाधिकारी

कोटचापुर

सेवा में,

एस. क्यू एम

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना ।

[illegible] /(2023) दि० 9.3.2015

[illegible]

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

पटना। अनुलग्नक

सेवा में,

अंचलाधिकारी,

बख्तियारपुर, पटना।

विषय :- कटैया जलकर में मापी कराकर सीमांकन कराने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- जिला मत्स्य कार्या० में आवेदन की प्राप्ति संख्या 282 दि० 09-3-15

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में सूचित करना है कि कटैया जलकर की बन्दोबस्ती श्री प्रेम प्रकाश, ग्राम-कटैया, पो० डोमा, प्रखण्ड-बख्तियारपुर, जिला-पटना के साथ वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक के लिए की गई है। मत्स्य शिकारमाही हेतु परवाना भी निर्गत किया जा चुका है।

आवेदक द्वारा लिखित शिकायत दर्ज किया गया है कि कटैया जलकर में कुछ अवैध व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे तालाब का आकार छोटा हो रहा है।

अतः अनुरोध है कि अपने स्तर से अमीन के द्वारा मापी कराकर सीमांकन कराने का कष्ट किया जाय, ताकि सरकारी राजस्व की क्षति न हो।

अनुलग्नक - दो प्रतियों में

विश्वासभाजन

[signature] 9/3/15

जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
[illegible] पटना

K.C.1

[signature] 16/03/15

अनुलग्नक-6

सेवा में,

अंचलाधि

बख्तियारपुर।

GOVT. OF BIHAR
COURT FEE
भारत INDIA
JUDICIAL
0000005
35.6.2015
BIHAR

विषय :- करौटा जलकर में मापी के संबंध में।

प्रसंग :- भवदीय पत्रांक 559 दिनांक 29-5-15

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला मत्स्य पदाधिकारी सह-मुख्य कार्यपालक पटना के पत्रांक 231 दि० 09-3-15 के आलोक में मौजा - करौटा, थाना सं० - 179, खाता सं० - 100, खेसरा सं० - 89 एवं 124, रकबा क्रमशः - 37 डी० एवं 37 डी० की मापी हेतु दिनांक 8/6/15 को भवदीय आदेश दिया गया था। अतः स्थल पर उपस्थित ग्रामीण जनता की उपस्थिति में सर्वे नक्शा अनुकूल स्थल मिलान करते हुए उक्त दोनों खेसरा को चिन्हित कर दिया। जो इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न नजरी-नक्शा में दर्शाया गया है।

अतः अपना प्रतिवेदन श्रीमान को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

रमेश रंजन

अमीन, बख्तियारपुर

ता:. 12-6-15

प्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि

नकलनवीस

मिलान कर्ता

अनुलग्नक -7

संदर्भ:— जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पटना के पत्रांक- 23 दिनांक 09-03-15 का मापी करने का जाँच प्रतिवेदन।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के संदर्भ में जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पटना के पत्रांक 23 दिनांक 09-03-2015 के आलोक में स्थानीय ग्राम करौता थाना नं० 179 में स्थलीय जाँच किया जिसमें चलकर के भूमि का अतिक्रमण हो रहा है। जिसका मापी करने का आदेश प्रदान किया जा सकता है। भूमि का ब्यौरा निम्न प्रकार है।

खाता	खेसरा	रकबा	भूमि का स्वरूप
100	89	0.37 डी०	गढ़ा डी० आम उ० - रास्ता द० - N.H. 30 पु० - रास्ता प० - रामेश्वर शर्मा वगै०
100	124	0.37 डी०	गढ़ा, डी० आम उ० - खेसरा - 196, 197 द० - N.H. 30 पु० - केदार शर्मा प० - सुरेश मलिक वगै०
100	125	0.33 डी०	गढ़ा डी० आम

अतः श्रीमान को सूचनार्थ प्रेषित

विश्वास भाजन

राम निवास सिंह

रा० कर्म० अंचल कार्यालय

[illegible] बख्तियारपुर (पटना)

08/04/2015

अ०अं० प्रतिवेदित खाता [illegible] ... [illegible]

15

अनुलग्नक-8

नजरी - नक्शा
मौजा - काँटी
थाना नं० - 179
खाता नं० - 100
खेसरा नं० - 89 एवं 124

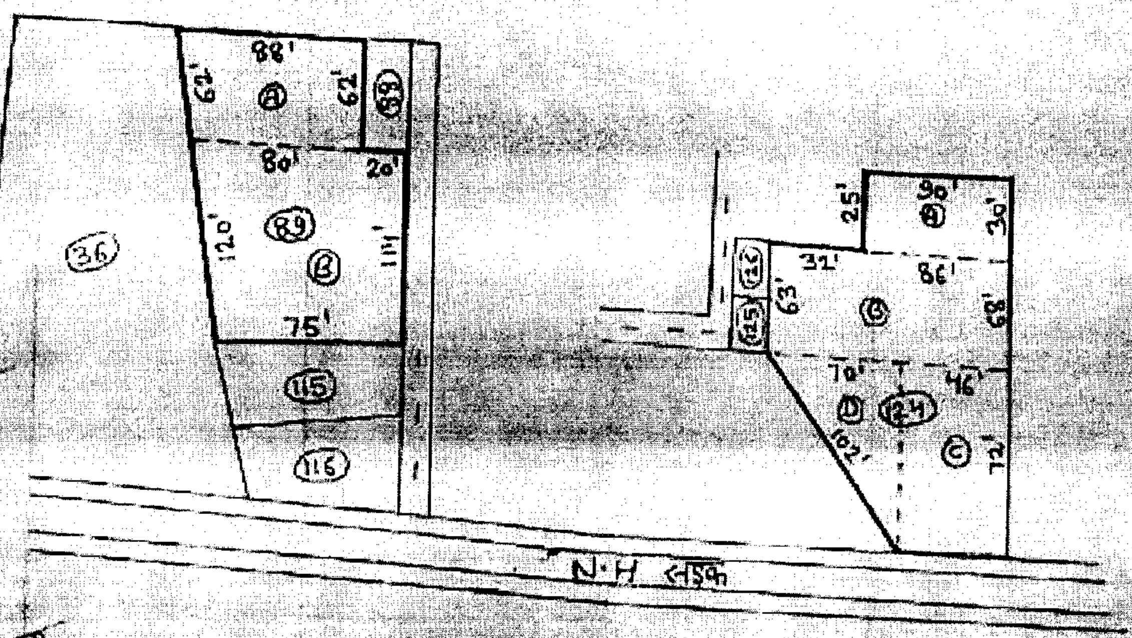

GOVT. OF BIHAR
COURT FEE
INDIA
Rs=0000005=
JUDICIAL
BIHAR
30.6.2015
375302
B692 7928739

खेसरा नं० - 89 का अराजी = A = 94'×62' = 5828 वर्ग फीट
B = 117'×87.5' = 10237.5 वर्ग फीट
16065.5 वर्ग फीट
आ. 36.88 डी०।

खेसरा नं० - 124 का अराजी = A = 88'×27.5' = 2420 वर्ग फीट
B = 117'×65.5' = 7663.5 वर्ग फीट
C = 75'×43' = 3225 " "
D = √125×55×47×23 = 2726.14 वर्ग फीट
कुल योग = 16034.64 " "
आ. 36.81 डी०।

नोट:- खेसरा नं० - 89 एवं 124 लाल रंग से दिखाया गया है।

विश्वासभाजन
राकेश रंजन
अमीन, [illegible]
ता:- 12-6-15

प्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि
अधिनियम १, धारा १८७२ की ७६ के अधीन प्राधिकृत

नकलकर्ता
मिलानकर्ता

अनु॰

चिरकुट सं०-30/15-16

जारी करने की तिथि
10/07/15

चिरकुट फीस-05-00
कोर्ट फीस-05-00
ऑफी फीस-10-00

कुल-20.00 (बीस) रुपये मात्र।

08/07/15

10/07/15

कार्यालय अंचलाधिकारी

कार्यालय :– ग्राम पंचायत......मोगलपुरा.......,बख्तियारपुर (पटना)

प्रखण्ड का नाम :– बख्तियारपुर पंचायत का नाम :– मोगलपुरा

योजना संख्या :– 01/2017-18 प्राक्कलित राशि :– 4,28700.00

योजना का नाम :–......रामरतन शर्मा के घर के निकट सार्वजनिक तालाब की उड़ाही एवं सौंदर्यीकरण कार्य।

अभिकर्त्ता का नाम एवं पदनाम :– आशीष पाण्डेय (पं० रो० से०)

श्री......मोनु राम...... एवं अन्य......40.........जॉब कार्डधारी श्रमिको के द्वारा रोजगार की मांग की गयी है। श्री......मोनु राम......एवं अन्य के द्वारा समर्पित आवेदन दिनांक.................. अभिलेख के साथ संलग्न है। इन श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु......01/2017-18 योजना का प्रारम्भ किया जाता है। यह योजना ग्राम पंचायत मोगलपुरा की ग्राम सभा की बैठक दिनांक 17.12.16 के क्रमांक......1...................../पंचायत समिति की बैठक दिनांक......................... एवं जिला परिषद पटना की बैठक दिनांक.................के क्रमांक..................के द्वारा चयनित एवं अनुमोदित हैं एवं म०गॉ० राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की वार्षिक कार्य योजना के क्रमांक.....1..........पर दर्ज है। यह योजना जनहित में है एवं जनोपयोगी है। अतः श्री शिवशंकर कुमार पंचायत तकनीकी सहायक/कनीय अभियंता......वशिष्ठ कुमार...... को निदेष दिया जाता है कि स्थल जॉच कर प्राक्कलन बनाकर इस कार्यालय में समर्पित करें। श्री......शिवशंकर कुमार...... को निदेष दिया जाता है कि :–

1. स्थानीय जॉचोपरान्त संतुष्ट हो लेंगें कि इस योजना पर विगत 5 वर्षो में किसी भी विभाग से अथवा अन्य किसी माध्यम से कार्य नहीं कराया गया है एवं वर्तमान में यह योजना किसी अन्य विभाग के द्वारा कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित/स्वीकृत नहीं है।

2. योजना स्थल का डिजिटल कैमरा के द्वारा तिथि सहित पर्याप्त संख्या में फोटोग्राफ लेना सुनिश्चित करेंगे एवं फोटोग्राफ के पीछे निम्नांकित विवरण दर्ज करते हुए संबंधित सभी व्यक्ति तिथि एवं पदनाम सहित हस्ताक्षर करेंगें।

फोटोग्राफ के पीछे निम्नांकित विवरण अंकित किया जाएगा :–

(क) योजना का नाम :–......रामरतन शर्मा के घर के निकट सार्वजनिक तालाब की उड़ाही एवं सौंदर्यीकरण कार्य।
....

(ख) स्थल का नाम जहॉ से फोटो लिया गया :– करौता

(ग) फोटोग्राफ लेने की तिथि :–

श्री शिवशंकर कुमार को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त निदेशों का पालन करते हुए दिनांक 09.05.17 तक प्राक्कलन बनाकर कार्यालय में समर्पित करें।

Ashish Pandey
P.R.S.

मुखिया
मुखिया का हस्ताक्षर
ग्राम पंचायत राज भोगलपुर
प्रखण्ड बख्तियारपुर (पटना)

श्री शिवशंकर कुमार / पंचायत तकनीकी सहायक / कनीय अभियंता के द्वारा रू0 4,28700.00 का प्राक्कलन समर्पित किया गया है, जिसपर सहायक अभियंता / कार्यपालक अभियंता, म0गॉ0 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के द्वारा रू0 428700/- की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना में श्रम एवं सामग्री पर होने वाले व्यय का अनुपात लगभग 99 : 1 है। चूँकि इस योजना की प्राक्कलित राशि रू0 5 लाख से कम / अधिक है,। अतः इस योजना के कार्यान्वयन हेतु रू0 428700.00 की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है / इस योजना के अभिलेख को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु कार्यक्रम पदाधिकारी,बख्तियारपुर,पटना को भेजें।

कार्यक्रम पदाधिकारी/बख्तियारपुर के पत्रांक ✗ दिनांक 15/05/17 के द्वारा कुल रू0 428700.00 की प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त अभिलेख प्राप्त हुआ है। योजना के कार्यान्वयन हेतु श्री आशीष पाण्डेय (P.R.S.) को अभिकर्त्ता नियुक्त किया जाता है। कार्यादेश निर्गत करें।

Ashish Pandey
P.R.S 15/5/17

मुखिया
ग्राम पंचायत राज भोगलपुरा
मुखिया का हस्ताक्षर
प्रखण्ड बख्तियारपुर (पटना)

श्री ✗ के द्वारा दिनांक ✗ के आवेदन देते हुए कार्य प्रारंभ करने हेतु अग्रिम की मांग की गयी है। अतः कार्य प्रारंभ करने हेतु श्री ✗ को प्रथम अग्रिम के रूप में रू0 ✗ का भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है। निदेश दिया जाता है कि बैंक के द्वारा श्री ✗ को रू0 ✗ का भुगतान करें।

श्री आशीष पाण्डेय (P.R.S.) को निदेश दिया जाता है कि पंचायत तकनीकी सहायक / कनीय अभियंता / सहायक अभियंता / कार्यपालक अभियंता को सूचना देते हुए कार्य प्रारंभ करें।

चेक सं0 ✗ दिनांक ✗

मो0 ✗ पाय

प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर

Ashish Pandey
P.R.S. 15/5/17

मुखिया
मुखिया का हस्ताक्षर
ग्राम पंचायत राज भोगलपुरा
प्रखण्ड बख्तियारपुर (पटना)

कार्यालय :— ग्राम पंचायत......मोगलपुरा............,बख्तियारपुर (पटना)

कार्यादेश

म0गॉ0 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 की वार्षिक कार्य योजना के क्रमांक...1........ के द्वारा चयनित योजना....रामरतन शर्मा के घर के निकट सार्वजनिक तालाब की उड़ाही एवं सौंदर्यीकरण कार्य की तकनीकी स्वीकृति पंचायत तकनीकी सहायक/कनीय अभियंता/सहायक अभियंता...द्वारा रू0 428700/- की दी गई है, जिसके आधार पर अधोहस्ताक्षरी कार्यक्रम पदाधिकारी/मुखिया ग्राम पंचायत.......मोगलपुरा...... के द्वारा रू0 428700 पर की प्रशासनिक सवीकृति प्रदान की गयी है। योजना के कार्यान्वियन हेतु श्री.......आशीष पाण्डेय.............. पंचायत रोजगार सेवक ग्रा0पं0 मोगलपुरा..... को अभिकर्त्ता नियुक्त करते हुए निदेष दिया जाता है कि :—

1. उपरोक्त योजना का कार्यान्वयन महात्मा गाँधी नरेगा की मार्गदर्शिका एवं समय—समय पर निर्गत अद्यतन विभागीय निदेशों के आलोक में कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. योजना का कार्यान्वियन प्राक्कलन की विशिष्टियों, नक्शा एवं प्लान के अनुरूप पंचायत तकनीकी सहायक/कनीय अभियंता श्री शिवशंकर कुमार..............की तकनीकी देख—रेख में सम्पादित होगा।
3. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व वे योजना स्थल का निरीक्षण कर पुनः यह जाँच लेंगे कि उक्त योजना में विगत पाँच वर्षों में किसी भी विभाग के द्वारा कार्य कराया गया है या नहीं। विगत पाँच वर्षों में उक्त योजना में किसी भी विभाग के द्वारा कार्य कराये जाने की स्थिति में वे इस योजना का कार्य प्रारंभ नहीं करेंगे एवं विस्तृत प्रतिवेदन इस कार्यालय को भेजेगें।
4. कार्य आदेश के निर्गत होने एवं राशि विमुक्ति के एक सप्ताह के अंदर कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. कार्य प्रारंभ करने के समय हीं कार्य स्थल के सुगोचर स्थान पर मार्गदर्शिका के अनुसार योजना के अन्तर्गत दी जानेवाली सूचना से संबंधित बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे।
6. योजना स्थल पर मस्टर रौल, जॉबकार्ड, प्राथमिक चिकित्सा किट आदि निश्चित रूप से रखा जायेगा एवं विभागीय निदेशानुसार मस्टर रौल/जॉबकार्ड को दैनिक रूप से संधारित किया जायेगा।
7. योजना के कार्यान्वयन में ठीकेदार/बिचौलिया को नहीं लगाया जायेगा।
8. योजना में किसी भी परिस्थिति में मशीन के द्वारा मिट्टी काटने का कार्य नहीं किया जायेगा।
9. द्वितीय अग्रिम एवं उसके बाद अन्य अग्रिम राशि के भुगतान के लिए पूर्व में दिये गये अग्रिम राशि के विरूद्ध मस्टर रौल एवं अभिश्रव प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
10. मजदूरी का भुगतान शत प्रतिशत बैंक/डाकघर में खोले गये खाता के माध्यम से किया जायेगा।
11. योजना के अभिलेख में अंकित निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ही योजना का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
12. मिट्टी के कार्यो को 15 जून तक अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जायेगा तथा उसकी मापी 30 जून तक अनिवार्य रूप से कराते हुए मापी पुस्तिका में अंकित करते हुए अभिलेख को बंद कर दिया जायेगा।

13. अंतिम भुगतान करने के पहले योजना का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे कि कार्य प्राक्कलन के अनुसार हुआ है तथा योजना जन उपयोगी है।

14. कार्य पूर्णतः विभागीय एवं सरकारी मापदण्ड के अनुसार किया जायेगा।

15. योजनाओं के कार्यान्वयन में कार्यकारी विभाग के द्वारा श्रम एवं सामग्री का अनुपात को 60:40 का अनुपात समेकित रूप से अनुपालन सुनिश्ति किया जाय।

16. कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता के लिए अभिकर्त्ता एवं संबंधित तकनीकी पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।

17. ग्रामीणों को सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य प्रारंभ के पूर्व, कार्यान्वयन के दौरान तथा कार्य समाप्ति के बाद सभी पहलुओं की जाँच एवं समीक्षा की जाय।

18. कार्य से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र व्यय प्रतिवेदन के साथ समर्पित करें।

19. इस योजना में दिए गए अग्रिम के विरूद्व कार्य कराकर, कनीय अभियंता से मापी कराकर कार्यरत मजदूरों-मिस्त्री का पारिश्रमिक का भुगतान कर के लिये मस्टर रौल तथा क्रय किये गये सामग्रियों के अभिश्रव (भाउचर) को कनीय अभियंता से सत्यापित कराकर जमा करने के उपरान्त हीं अगला अग्रिम देय होगा।

निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त निदेशों का सख्ती से अनुपालन करते हुए योजना का दिनांक 2 माह तक पूरा कराना सुनिश्चित करें।

Ashish Pandy.
P.R.S. 15/5/17

मुखिया का हस्ताक्षर
मुखिया
ग्राम पंचायत राज ...लपुरा
प्रखण्ड ... (पटना)

ज्ञापांक ____/ दिनांक ____

प्रतिलिपि :– कार्यक्रम पदाधिकारी,बख्तियारपुर./कार्यपालक अभियंता/ सहायक अभियंता,म०गॉ०नरेगा/ कनीय अभियंता /पंचायत तकनीकी सहायक पंचायत रोजगार सेवक–सह–अभिकर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ashish Pandy.
P.R.S. 15/5/17

मुखिया का हस्ताक्षर
मुखिया
ग्राम पंचायत राज ...लपुरा
प्रखण्ड ... (पटना)

योजना का नाम :- रामरतन शर्मा के घर के निकट सार्वजनिक तालाब की ... एवं सौंदर्यीकरण कार्य।

ग्राम पंचायत मोजमपुरा

वर्ष : 2017-18

E/w cutting and filling Embankment pound all complete job .... etc.

Providing E/w = $\frac{280'0''+256'0''}{2} \times \frac{65'0''+41'0''}{2} \times 12'0''$

= 170448 cft

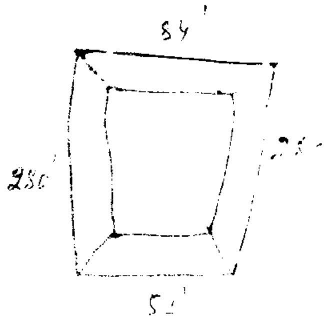

Existing E/w = $\frac{181'0''+165'0''}{2} \times \frac{40'0''+24'0''}{2} \times 8'0''$

= 44288 cft

Net E/w = 170448 - 44288 = 126160 cft

Lead 1m' and lift 8' to 11.5' (approx-12')

Female = 42054 cft @ 50.84 cft/m.d. = 827 m.d.

Male = 84106 cft @ 59.86 cft/m.d. = 1405 m.d.

Dressing and leveling @ 1 m.d.% cft = 126 m.d.

Drinking water @ 1 Nos/50 m.d. = 47 m.d.

2405 m.d.

@ Rs. 177=00/m.d. —— Rs 425655

S.F.F. Notice board & Photo —— Rs 3000

Rs 4,28,6[illegible]

[illegible] rupees [illegible] lakh twenty [illegible] thousand [illegible] hundred [illegible]

Says Rs 4,28,700=00

10/05/2017

07/05/2017

बख्तियारपुर (पटना)

विषय:- दबंग मुखिया द्वारा गढ़ा और मंदीर के जमीन को [illegible] कब्जा करने हेतु।

महाशय।

सविनय नम्र निवेदन यह है कि मोगलपुरा ग्राम पंचायत के दबंग मुखिया प्रेम प्रकाश उर्फ बबलू सिंह करौता ग्राम में अवस्थित गढ़ा (खाता नं० 51 और खसरा नं० 41) जिसमें गाँव का पानी गिरता है को उड़ाही के नाम पर गढ़ा को पोपलेन और J.C.B के द्वारा भराई कर रहे हैं। साथ-ही साथ मंदीर के जमीन (खसरा नं० 115 और 116) को भी कब्जा करने हेतु पोपलेन और J.C.B. के द्वारा भराई कर रहे हैं। दबंग मुखिया पहले से भी कई केस में अभियुक्त है। सभी ग्रामीणों को धमकी दे रहे हैं कि जो भी आगे आयेगा उसको कहीं न कहीं फंसा देंगे या उसके साथ कुछ भी अप्रिय घटना हो सकता है। गाँव में इनका दहशत व्याप्त है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि दबंग मुखिया पर शीघ्रातिशीघ्र उचित कारवाई की जाए।

आपका प्रार्थी
करौता ग्रामवासी

(1)
(2) महेश शर्मा 9304476788
(3) अर्जुन शर्मा
(4) अरुण [illegible]

आवेदक का बयान सत्य है
[signature]
15/06/17
Sarpanch
Gram Kach[illegible] Mogalpura
Bakhtiyapur, Patna (Bihar)

प्रखंड पदाधिकारी

अलियारपुर ।

सेवा में,

उप-विकास आयुक्त

पटना ।

विषय : ग्राम पंचायत मोगलपुरा में योजना संख्या 01/2017-18 योजना का नाम - (रामरतन शर्मा के घर के निकट सार्वजनिक तालाब की उड़ाही एवं सौन्दर्यीकरण कार्य) में मस्टररोल निर्गत के उपरांत J.C.B मशीन चलाने के सम्बंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में कहना है कि मोगलपुरा पंचायत में शून्य मानव दिवस को समाप्त करने हेतु योजना रामरतन शर्मा के घर के निकट सार्वजनिक तालाब की उड़ाही एवं सौन्दर्यीकरण कार्य MIS पर Entry कर मस्टर रोल दिनांक 03/06/17 से 09/06/17 एवं दिनांक 10/06/17 से 16/06/17 (दो सप्ताह) का मस्टर रोल पंचायत रोजगार सेवक ने कम्प्यूटर ऑपरेटर के साथ मिलकर मस्टर रोल निर्गत कराया। उक्त योजना में दिनांक 12/06/17 को रात्रि में सम्बंधित पंचायत के मुखिया एवं बिचौलिया मिलकर JCB मशीन ~~से~~ का प्रयोग किया।

सम्बंधित योजना में तत्परता कार्यवाही करते हुए कार्य को रोकवा दिया गया एवं पंचायत रोजगार सेवक को निर्देश...

रोल को शून्य कर अभिलेख में आदेश को बन्द करने का निर्देश दिया गया है।

श्रीमान् की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 13/06/17

कार्यक्रम पदाधिकारी

बख्तियारपुर

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पटना

ज्ञापांक .... जी०वि० दिनांक ....

प्रेषित,

मुखिया ।
पंचायत रोजगार सेवक,
ग्राम पंचायत—मोगलपुरा,
प्रखण्ड—बख्तियारपुर।

विषय :— **ग्राम पंचायत मोगलपुरा में मनरेगा योजना अन्तर्गत जे०सी०बी० मशीन से कार्य कराये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण।**

प्रसंग :— कार्यक्रम पदाधिकारी बख्तियारपुर का पत्रांक 38 दिनांक 13.06.17

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी बख्तियारपुर ने ग्राम पंचायत मोगलपुरा योजना सं0 01/17-18 (योजना का नाम रामरतन शर्मा के घर के निकट सार्वजनिक तालाब की उड़ाही एवं सौन्दर्यीकरण कार्य) मे संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया एवं बिचौलियों के द्वारा मिलकर जे०सी०बी० मशीन से कार्य कराये जाने का प्रतिवेदन दिया है। मनरेगा योजना अन्तर्गत जे०सी०बी० मशीन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।

अतः उपर्युक्त के संबंध मे आप अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 02 दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि के अंदर स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने/संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी

ह0/–
उप विकास आयुक्त,
पटना।

ज्ञापांक 1069 / दिनांक 22/6/17

प्रतिलिपि:— जिला पदाधिकारी पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :— जिला पंचायत राज पदाधिकारी पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि कार्यक्रम पदाधिकारी बख्तियारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि संबंधित कर्मी/मुखिया के पत्र का तामिला कराना सुनिश्चित करें।

21.6.17
उप विकास आयुक्त,
पटना।

प्रखण्ड :- बख्तियारपुर।

योजना का नाम :- ग्राम पंचायत मोगलपुरा में रामरतन शर्मा के घर के निकट सार्वजनिक तालाब की उड़ाही एवं सौन्दर्यीकरण कार्य

योजना सं० :- 01/2017-18. , प्रा०राशि :- Rs 4,28,700=00

आज दिनांक 30/11/2017 को स्थल का मापी किया गया।

length = 120'0"

Breadth = 58'0" Av. & 63'0"

Dipth = 12'0" & 15'-3".

[signature]
30/11/2017
J.E.

Ashish Pandey
30.11.17
P.R.S.

मेरे सामने मापी ली गई।

[signature]
30/11/17
PC. Bakhtiarpur

<u>जॉच प्रतिवेदन</u>

<u>श्रीमती शांति देवी, पति- श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, ग्राम- बराटपुर, ग्राम पंचायत- सोनावॉ, प्रखण्ड पटना सदर के परिवाद पत्र (मा0मु0 संदर्भ सं12707170072) से संबंधित जॉच हेतु ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार पटना के पत्रांक-335654 दिनांक 7/11/2017 द्वारा गठित जॉच दल (जिसमें श्री विजय कुमार एवं श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा, स्टेट क्वालिटी मॉनिटर शामिल है) द्वारा दिनांक 27/12/2017 को सम्पन्न जॉच का प्रतिवेदन</u> ।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गठित जॉच दल द्वारा 27/11/2017 को पटना सदर प्रखण्ड कार्यालय का दौरा किया गया । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी विधान सभा कार्य में व्यस्त थे । प्रखण्ड के इंदिरा आवास पर्यवेक्षक श्री मती सन्ध्या एवं आवास सहायक श्री शान्तनु के साथ विभागीय गाड़ी से ग्राम बराटपुर ग्रामपंचायत सोनावॉ का जॉच दल द्वारा दौरा किया गया ।ग्राम बराटपुर में श्री मती शांति देवी को जॉच दल की मुलाकात हुई । श्री मती शांति देवी ने स्वीकार किया कि यह परिवाद उन्ही के द्वारा दिया गया है ।

श्री मती शांति देवी ने यह भी स्वीकार किया कि उनके पति श्री राजेन्द्र चौधरी को पूर्व में वर्ष 2009-10 में इंदिरा आवास आवंटित किया जा चुका है एवं राशि का पूर्ण भुगतान भी किया जा चुका है । अत: दुबारा वर्ष 2014-15 में श्री मती शांति देवी को इंदिरा आवास आवंटित नही किया जा सकता है । इस संबंध में श्री धर्मेन्द्र लिपिक एवं श्रीमती संध्या ग्रामआवास पर्यवेक्षिका, श्री पंकज कुमार ग्राम आवास सहायक(तत्कालीन) शान्तनु ग्राम आवास सहायक (वर्तमान) भी लिखित शपथ पत्र दिया है जो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटना सदर द्वारा अपने अग्रसारन पत्र-2939 दिनांक 07/12/2017 द्वारा जॉच दल को भेजा गया है एवं प्रतिवेदित किया गया है,

इनलोगें के विरूद्ध जो अभियोग लगाया गया है वह गलत है 1 श्री मती शांति देवी द्वारा लगाये गये आरोप से संबंधित कोई साक्ष्य जॉचदल को सुपुर्द नही किया गया ।

अतः आरोप प्रमाणित नहीं होता है ।

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

स्टेट क्वालिटी मॉनिटर

(विजय कुमार)

स्टेट क्वालिटी मॉनिटर

अनुलग्नकः- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,

पटना सदन का पत्रांक- 2939

दिनांक 07/12/017 मूलरूप से अनुलग्न ।

कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,पटना सदर

पंत्राक 2939 दिनांक 7.12.17

प्रेषक,

प्रखंड विकास पदाधिकारी,
पटना सदर।

सेवा में,

जॉच पदाधिकारी,
(एस0क्यु0एम0),
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।

विषयः— **श्रीमती शांति देवी, पति—श्री राजेन्द्र चौधरी, ग्राम—बराटपुर, ग्राम पंचायत सोनावॉ, प्रखंड पटना सदर के परिवाद पत्र के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सादर सूचित करना है कि श्रीमती शांति देवी, पति—श्री राजेन्द्र चौधरी, ग्राम—बराटपुर, ग्राम पंचायत सोनावॉ, प्रखंड पटना सदर के परिवाद पत्र में वर्णित तथ्यों के आलोक में निदेशानुसार परिवाद से संबंधित सभी कर्मियों से शपथ पत्र प्राप्त कर ली गई है। जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जाता है।

कृपया, प्राप्ति स्वीकार किया जाय।

अनु0ः—शपथ पत्र।

विश्वासभाजन,

6.12.17

प्रखंड विकास पदाधिकारी,
पटना सदर।

शपथ पत्र

हमलोग के द्वारा क्रमशः धर्मेन्द्र, संध्या, पंकज एवं शान्तनु स्पष्ट करना चाहता/चाहती हूँ कि शांति देवी, पति–राजेन्द्र चौधरी, ग्राम–बराटपुर, ग्राम पंचायत सोनावॉ, प्रखंड पटना सदर के इन्दिरा आवास योजना से संबंधित लेखा सहायक वर्त्तमान (लिपिक), ग्रामीण आवास पर्यवेक्षिका, निवर्त्तमान (पूर्व के) ग्रामीण आवास सहायक एवं वर्त्तमान ग्रामीण आवास सहायक के विरूद्ध लगाये गये आरोप/अभियोग कि शांति देवी, पति–राजेन्द्र चौधरी, के नाम वर्ष 2014–15 में राशि आवंटन कर निकासी भी कर ली गई है। प्रखंड पटना सदर में उपलब्ध स्थाई प्रतिक्षा सूची में परिवादी के पति–श्री राजेन्द्र चौधरी, पिता–श्री विफन चौधरी के नाम पर दर्ज है। जिन्हें वर्ष 2009–10 में इन्दिरा आवास योजना का लाभ मिल चुका है। जिसका पूर्व में ही अंतिम भुगतान किया जा चुका हैं।

परिवादी शांति देवी, पति–राजेन्द्र चौधरी, पिता–विफन चौधरी एक ही परिवार के सदस्य है। इस प्रकार पति–पत्नी दोनों लाभुक हुए, ऐसी परिरिथिति में (दो) बार एक ही लाभुक को इन्दिरा आवास आवंटित नहीं किया जा सकता।

दिनांक 27.11.2017 को प्रखंड कार्यालय, पटना सदर में ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा गठित जॉच दल से इस संबंध में हमलोगों को यह भी कहना है कि शांति देवी, पति–राजेन्द्र चौधरी के द्वारा जो अभियोग/आरोप लगाया गया है। वो सरासर गलत एवं निराधार है।

भवदीय की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

1. धर्मेन्द्र, लिपिक — Dharmendra
2. संध्या, ग्रा0आ0 पर्यवेक्षिका Sandhya
3. पंकज, ग्रा0आ0 सहायक (तत्कालीन) Pankaj
4. शान्तुन, ग्रा0आ0 सहायक · Shantanu-Kumar

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री
बिहार सरकार पटना
सचिवालय पटना 800001

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं शांति देवी पति राजेन्द्र चौधरी, निवासी ग्राम–बराठपुर, पो०–कच्चीदरगाह, थाना–दीदारगंज, जिला–पटना का निवासी हूँ। मैं एक गरीब हरिजन वर्ग का सदस्य हूँ। शांति देवी के नाम में वर्ष 2014–2015 के इंदिरा आवास के प्रतिक्षा सुची में वी०पी०एल० नं०–161 बेटिंग लिस्ट की क्रम संख्या–52 पर अंकित है, टोटल मार्क–9 है, एवं टोटल मार्क 9 वाले वी०पी०एल० परिवार को इंदिरा आवास की राशि आवंटित हुई है एवं मेरे नाम में भी आवंटित हुआ है परन्तु दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रखण्ड कार्यालय के इंदिरा आवास सहायक (1) धर्मेन्द्र, सुरपवाईजर (2) संध्या मैडम, फिल्ड ऑफिसर (3) पंकज कुमार पूर्व के एवं (4) वर्तमान सान्तनु के द्वारा स्पष्ट रूप से कई बार प्रखण्ड कार्यालय में कहा गया कि रुपया जब तक हमलोगो को नहीं दोगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा, इंदिरा आवास आवंटन होने के बाद भी हमलोग नहीं होने देंगे चाहे तुम जो चाहो कर लो, और इसी बात के लेकर मेरी शांति देवी के प्रतिक्षा सूची के क्रम संख्या–52 पर अंकित होने के बाद भी उपरोक्त

लोगों के द्वारा जान बुझकर मेरी शांति देवी को वंचित कर दिया गया है, इतना ही नहीं मैंने जब अनुमण्डलीय लोक शिकायत प्राधिकार में शिकायत किया तो षडयंत्र के तहत इनलोगों के द्वारा एवं पंचायत के उप मुखिया के मिली भगत से गलत तरीके से रिपोर्ट तैयार कर मुझे दो किता पक्का दो मंजिला मकान कहकर कहा गया कि, इन्हें इंदिरा आवास राशि के लाभ से वंचित किया गया है।

परन्तु मुझे गुप्त सुत्रों से जानकारी मिली है कि शांति देवी पति राजेन्द्र चौधरी के नाम में इंदिरा आवास का राशि आवंटित है एवं भुगतान भी हो गया है। मैं अपर समाहर्त्ता लोक शिकायत निवाकरण, जिला–पटना–सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार में भी शिकायत दर्ज करवाया। जिसका आदेश निर्गत संख्या–42811–09016 गत दिनांक 10.07.2017 को पुनः वही बात प्रखण्ड कार्यालय से कहा गया कि अपीलार्थी का 2 अलग अलग स्थानों पर 2 मंजिला पक्का मकान है नियमानुकूल पक्का मकान वालों को इंदिरा आवास योजना का लाभ देय नहीं है वर्ष 2014–2015 में ग्राम पंचायत सोनामा का कुल 122 स्वीकृत इंदिरा आवास की सूची संलग्न की गई है और वाद का निष्पादन 10.07.2017 को कर दिया गया

परन्तु मुझे मेरा विश्वास है कि शांति देवी पति राजेन्द्र चौधरी के नाम में वी०पी०एल० क्रमांक 161 है कि स्वीकृति हुई है एवं मेरे नाम का रुपया आवंटित कर प्रखण्ड के द्वारा आवास योजना का कार्यवाहक कर्मचारी के मिली भगत से गलत तरीके से भुगतान करवा दिया गया है।

मेरी पुतोह अनिता चौधरी जो मुझसे अलग है को वर्ष 2013–2014 में इंदिरा आवास की स्वीकृति हुई थी उसमें भी अभी भी बकाया राशि का भुगतान इंदिरा आवास कार्यालय पटना सदर प्रखण्ड से अंतिम भुगतान नहीं किया गया है उसके संबंध में भी कार्यालय के कर्मचारी द्वारा यही कहा जाता है कि जब तक रुपया हमलोग को नहीं दोगे भुगतान नहीं होने दूँगा चाहे जो कर लो।

अतः उपरोक्त लिखित तथ्यों के आलोक में श्रीमान् से प्रार्थना है कि शांति देवी पति राजेन्द्र चौधरी के सबध में विस्तृत एवं गहन जाँच कर गलत किये गये कर्मचारी एवं पदाधिकारी को दंडित किया जाय एवं मुझे न्याय दिलाने में पूर्ण सहयोग करें।

मैं गत दिनांक 03.03.2017 को अनुमण्डल अधिकारी पटना सिटी दिनाक 31.03.2017 को जिलाधिकारी, पटना के कार्यालय में जाकर आवेदन जिसका विषय है इंदिरा आवास का रुपया प्रखंड के अधिकारी द्वारा गमन कर लेने के संबंध में परन्तु उसका अलग तक कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है।

आपका विश्वासी

(शांति देवी)
पति–राजेन्द्र चौधरी,
बराठपुर, प्रखण्ड पटना सदर।
मो०–8933931922

[illegible]
[illegible]

Shantanu Kumar
29.11.2017

गवाह — राजेन्द्र चौधरी

29.11.2017

27/11/2017

Indira Awa

BENEFICIARY NAME	FATHER/HUSBAND NAME	FATHER	VILLAGE	WAITING LIST NO.	BPL NO.
[illegible] Devi	Shiv Lakhan Dash	Bhairo Dash	Sonawan	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] Dash	Sukhu Dash	Mahmadpur	5	[illegible]
[illegible] Devi	[illegible]	Soudh [illegible]	Sonawan	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] Choudhary		Hiranand Pur	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] Choudhary	Babunanda Choudhary	Bratpur	20	[illegible]
[illegible]	[illegible] Ram	Puneshwar Ram	Sonawan	[illegible]	[illegible]
[illegible] Choudhary	Ram Brikchh Choudhary		Mahmadpur	24	[illegible]
[illegible] Devi	Chandarik Dash		Sonawan	26	[illegible]
[illegible] Devi	Budhan Dash	Balgobind Dash	Sonawan	28	[illegible]
[illegible] Devi	Arjun Choudhary	Lakshmi Choudhary	Bratpur	[illegible]	[illegible]
[illegible] Devi	Prahalad Dash	Somar Dash	Sonawan	32	[illegible]
[illegible]	Ramfal Dash	Rambarat Dash	Hiranand Pur	33	[illegible]
[illegible] Devi	[illegible] Choudhary	Mahesh Choudhary	Bratpur	35	[illegible]
[illegible] Devi	Bindeshwar Dash	Dasai Dash	Sonawan	42	[illegible]
[illegible]	[illegible] Choudhary	Bifan Choudhary	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] Devi	[illegible] Dash	Santosh D[illegible]	Sonawan	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Rajendar Choudhary	Bifan Choudhary	Bratpur	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Suresh Dash	Sonawan	57	[illegible]
[illegible]	Sohan Dash	Nandu Dash	Sonawan	53	[illegible]
[illegible]	Ramrup Dash		Sonawan	54	[illegible]
[illegible]	Pramod Choudhary	Rambriksh Choudhary	Mahmadpur	58	[illegible]
[illegible] Devi	Shayam [illegible] Dash	Ramdev Dash	Sonawan	65	[illegible]
[illegible]	Ram[illegible] Choudhary	Ramatar Choudhary	Mahmadpur	75	[illegible]
[illegible] Devi	Bindeshwar Paswan	Firangi Paswan	Hiranand Pur	77	1899
[illegible]	Sonawan Choudhary	Ramawtar Choudhary	Mahmadpur	99	[illegible]
[illegible]	Satish Choudhary	Rajendar Choudhary	Mahmadpur	100	[illegible]
[illegible]	Ram dev Ram	Moti Ram	Sonawan	103	[illegible]
[illegible]	Rabindar Choudhary	Gajadhar Choudhary	Mahmadpur	[illegible]	[illegible]
[illegible] Devi	Late Ram Prasad Dash		[illegible]	115	[illegible]
[illegible]	[illegible] Dash	Hemnath D[illegible]	Hiranand Pur	125	[illegible]
[illegible]	[illegible] Paswan	Shivnandan [illegible]	Hiranand Pur	126	[illegible]
[illegible]	[illegible]		Hiranand Pur	132	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]and Pu[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Sar[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] Singh			
[illegible]	[illegible]amnaresh Sign	kishor [illegible]	[illegible]	4[illegible]
[illegible]	Ramnap[illegible]a Singh		Ma[illegible]	[illegible]